

मामलों का विवरण

धर्मिन बाई कश्यप बनाम.

बाबी साहू और अन्य

(2023 की सिविल अपील संख्या 2517) 16 अगस्त, 2023

[बेला एम. त्रिवेदी और एस. वी. एन. भाटी, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:छत्तीसगढ़ पंचायत (चुनाव याचिका, भ्रष्ट व्यवहार और सदस्यता के लिए अयोग्यता) नियम, 1995 के नियम 6 के तहत कोई राहत मांगे बिना, क्या उप-मंडल कार्यालय के समक्ष याचिकाकर्ता के नेतृत्व में चुनाव याचिका दायर की गई थी, जिसमें अकेले मतों की फिर से गिनती में राहत की मांग की गई थी।

चुनाव कानून-छत्तीसगढ़ पंचायत (चुनाव याचिकाएं, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता के लिए अयोग्यता) नियम, 1995 -आर. 6-याचिकाकर्ता द्वारा दावा की जाने वाली राहत-सरपंच का चुनाव-उप-मंडल कार्यालय के समक्ष निर्वाचन याचिका।122 बिना किसी राहत के अकेले मतों की फिर से गिनती की राहत की मांग करना।6 - इसकी रखरखाव क्षमता:

आयोजित किया गया:जहां किसी मूर्ति द्वारा कोई अधिकार या दायित्व बनाया जाता है, जो इसे लागू करने के लिए एक विशेष उपाय देता है, तो मूर्ति द्वारा प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठाया जाना चाहिए-इसके अलावा, यदि कोई मूर्ति किसी विशेष तरीके से किया जाने वाला काम करने का प्रावधान करती है, तो इसे उस तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं -धारा 122 में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के तहत एक चुनाव को केवल निर्धारित तरीके से प्रस्तुत याचिका द्वारा प्रश्न में बुलाया जा सकता है-निर्धारित तरीका 1995 के नियमों में है।6, यह प्रावधान किया गया है कि याचिकाकर्ता एक घोषणा का दावा कर सकता है कि सभी या किसी भी लौटे उम्मीदवार का चुनाव अमान्य है; और इसके अलावा, एक और घोषणा कि वह स्वयं या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत चुना गया है-इसके मद्देनजर, चुनाव याचिका में यू/एस के नेतृत्व में।122, दावा की गई नक्काशी आर के अनुरूप होनी चाहिए।6 - अदालत या न्यायाधिकरण चुनाव याचिका में मतों की फिर से गिनती का निर्देश दे सकता है, जो चुनाव में दलों द्वारा निर्धारित साक्ष्य पर निर्भर करता है।

150

धर्मिन बाई कश्यप बनाम बाबी साहू और अन्य

याचिका-याचिकाकर्ता आवश्यकतानुसार मतों की फिर से गिनती के लिए लिखित रूप में कोई आवेदन करने में विफल रहा है।80 1995 के अधिनियम के तहत, और आवश्यकतानुसार

घोषणाओं से राहत पाने में विफल रहा। 6, उप-मंडल कार्यालय के समक्ष याचिकाकर्ता के नेतृत्व में केवल मतों की पुनः गिनती में राहत की मांग करने वाली चुनाव याचिका विचारणीय नहीं थी-छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993-छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाण नियम, 1995।[पैरा 13 और 15]

चुनाव कानून: चुनाव कानून से संबंधित सांविधिक प्रावधान-व्याख्या:

आयोजित किया गया: इस विषय पर न्यायशास्त्र प्रावधानों के सख्त निर्माण को अनिवार्य करता है-चुनाव प्रतियोगिता कानून की कार्रवाई या बराबरी का मुकदमा नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से एक वैधानिक कार्यवाही है, जिसके लिए प्रावधान का सख्ती से अर्थ निकाला जाना चाहिए।[पैरा 15]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

सोहन लाल बनाम बाबू गांधी और अन्य (2003) 1 एस. सी. सी. 108:[2002] 4 पूरक। एस. सी. आर. 333-पर निर्भर।

राम रति बनाम सरोज देवी और अन्य (1997) 6 एस. सी. सी. 66:[1997] 3 एस. सी. आर. 1050; चेरुकुरी मणि बनाम नरेंद्र चौधरी बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य (2015) 13 एस. सी. सी. 722:[2014] 6 एस. सी. आर. 750; लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम रेखा सिंह और अन्य (2020) 6 एस. सी. सी. 812-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:सिविल अपील No.2517

2023.

2022 के डब्ल्यू. ए. No.72 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दिनांकित 25.04.2022 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

समीर श्रीवास्तव, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

मेसर्स वी. एम. जेड. चैम्बर्स के लिए अभिनव श्रीवास्तव, सुधीर वर्मा, सुश्री रितु रेनीवाल, सौरव राय, महेश कुमार, कौशल शर्मा, सुनील कुमार टोप्पो, सुश्री देविका खन्ना, श्रीमती वी. डी. खन्ना, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

152 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

1. पीड़ित अपीलार्थी ने 2022 की रिट अपील संख्या 72 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित दिनांक 1 के विवादित निर्णय और आदेश की वैधता और वैधता को चुनौती देने वाली वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त रिट अपील की अनुमति दी है और डबल्यू. पी. में एकल पीठ द्वारा पारित 2 के आदेश को रद्द कर दिया है। (ग) 2022 का सं. 09। नतीजतन, डिवीजन बेंच ने उप-मंडल कार्यालय द्वारा पारित 20.12.2021 के आदेश और 31.12.2021 पर किए गए वोटों की फिर से गिनती को भी रद्द कर दिया है।

2. निर्णय लेने के उद्देश्य से आवश्यक तथ्यों का संक्षिप्त सारांश

यह

याचिकाएं इस प्रकार हैं:-

(i) 28.01.2020-ग्राम पंचायत, सेमारकोना ब्लॉक, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का चुनाव, जिसमें याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थी नं.1 और प्रत्यर्थी संख्या।5 8 ने चुनाव लड़ा।

(ii) 30.01.2020-चुनाव का परिणाम घोषित किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी नं.1 निर्वाचित घोषित किया गया।

(iii) 07.02.2020-याचिकाकर्ता ने उप-मंडल कार्यालय, मुंगेली के समक्ष चुनाव याचिका का नेतृत्व किया और मुख्य रूप से इस आधार पर मतों की फिर से गिनती के लिए प्रार्थना की कि तीन बूथों पर पर्याप्त रोशनी नहीं थी जैसा कि उसमें कहा गया है।

(iv) 18.10.2021-उप-मंडल कार्यालय (आर), मुंगेली ने उक्त चुनाव याचिका की अनुमति दी और मतों की फिर से गिनती करने का निर्देश दिया।(v) 08.11.2021-प्रत्यर्थी नं. 1 ने एस. डी. ओ. द्वारा पारित दिनांक 18.10.2021 के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए लिंग रिट याचिका द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसकी अनुमति इस आधार पर दी गई कि एस. डी. ओ. ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने एसडीओ को नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया

11 छत्तीसगढ़ पंचायतों की (चुनाव याचिकाएं, 153)

धर्मिन बाई कश्यप बनाम बाबी साहू और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

भ्रष्ट व्यवहार और सदस्यता के लिए अयोग्यता)

नियम, 1995 (इसके बाद 1995 के नियम के रूप में संदर्भित)।(vi) 20.12.2021-उप-मंडल कार्यालय ने गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद कहा कि मतदान केंद्रों पर प्रकाश की

अत्यधिक क्षमता नहीं थी, और 31.12.2021 पर तीन मतदान केंद्रों में फिर से गिनती करने का आदेश दिया।

(vii) 31.12.2021-मतों की पुनः गिनती के बाद, यहाँ याचिकाकर्ता को निर्वाचित सरपंच घोषित किया गया था।

(viii) 06.01.2022-प्रत्यर्थी सं. 1 एस. डी. ओ. के उक्त आदेश को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती देने के बाद, उसे उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया।

(ix) 25.04.2022-प्रत्यर्थी नं. 1 डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील को प्राथमिकता देने के बाद, विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से इसकी अनुमति दी गई, मुख्य रूप से इस आधार पर कि याचिकाकर्ता द्वारा चुनाव याचिका में दावा की गई राहत 1995 के नियमों के नियम 6 के अनुरूप नहीं थी। 3. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आने वाले कानून का स्पष्ट सवाल यह है कि क्या 1995 के नियमों के नियम 6 के तहत कोई राहत मांगे बिना, उप-मंडल कार्यालय (आर) के समक्ष याचिकाकर्ता के नेतृत्व में केवल मतों की फिर से गिनती से राहत की मांग करने वाली चुनाव याचिका बनाए रखने योग्य थी?

4. संबंधित मुद्दे पर पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर ध्यान देने से पहले यह उल्लेख करना उचित होगा कि धारा के अनुसार

122 छत्तीसगढ़ पंचायत राज प्रशासन, 1993 (इसके बाद)

उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) उक्त अधिनियम के तहत एक चुनाव को केवल निर्धारित तरीके से प्रस्तुत याचिका द्वारा प्रश्न में बुलाया जा सकता है, और पंचायत के मामले में उप-मंडल कार्यालय (आर) को, उस तारीख से 30 दिनों के भीतर जिस दिन प्रश्नगत चुनाव को अधिसूचित किया गया था। राज्य सरकार ने 1993 के उक्त अधिनियम की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए हैं जिन्हें कहा जाता है -

छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 (इसके बाद संदर्भित)

निर्वाचन नियम 1995 के रूप में)। उक्त निर्वाचन नियम 1995 का अध्याय IX "चुनाव के लिए मतदान" से संबंधित है। नियम 77 के उप नियम (1) और उप नियम (2) प्रासंगिक होने के कारण इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

- 154 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

“77. मतों की गिनती।-

(1) प्रत्येक मतपत्र जिसे नियम 76 के तहत अस्वीकार नहीं किया गया है, उसकी गणना की जाएगी:

बशर्ते कि निविदा मतपत्रों वाला कोई आवरण नहीं खोला जाएगा और ऐसे किसी भी मतपत्र की गिनती नहीं की जाएगी।

(2) किसी मतदान केंद्र के संबंध में मतों की गिनती पूरी होने के बाद, निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी, पंचों के लिए प्रपत्र 16 में और परिणाम पत्रक के भाग एक में क्रमशः सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के लिए प्रपत्र 17, 18 और 19 में प्रविष्टियां करेंगे और प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा डाले गए मतों की कुल संख्या की घोषणा करेंगे।” 5. नियम 80 मतों की फिर से गिनती से संबंधित है। इसके सुसंगत उप-नियम (1) और (2) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“80. मतों की पुनः गणना।-

(1) निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा नियम 77 के उप-नियम (2) के तहत प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा डाले गए कुल मतों की घोषणा किए जाने के बाद, एक उम्मीदवार या, उसकी अनुपस्थिति में, उसका चुनाव एजेंट या उसका गणना एजेंट निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत ऐसे अधिकारी को पहले से ही गिने गए सभी या किसी भी मत की फिर से गिनती के लिए लिखित रूप में आवेदन कर सकता है, जिसमें उन आधारों को बताया जाए जिन पर वह इस तरह की फिर से गिनती की मांग करता है।

(2) ऐसा आवेदन किए जाने पर निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी मामले का निर्णय करेगा और आवेदन को पूर्ण या आंशिक रूप से अनुमति दे सकता है या यदि उसे लगता है कि यह तुच्छ या अनुचित है तो इसे अस्वीकार कर सकता है।”

6. यह उल्लेख करना उचित है कि राज्य सरकार ने 1993 के उक्त अधिनियम के तहत 1995 के नियम भी बनाए हैं। 1995 के उक्त नियमों का नियम 5 "याचिका की सामग्री" से संबंधित है और नियम 6 "याचिकाकर्ता द्वारा दावा की जा सकने वाली राहत" से संबंधित है, जो निम्नानुसार है:-

“5. याचिका की सामग्री।- एक चुनाव याचिका होगी

(क) उन सभी भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण शामिल करें जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है;

धर्मिन बाई कश्यप बनाम बाबी साहू और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 156

(ख) पर्याप्त विवरणों के साथ, जिन आधारों पर चुनाव पर सवाल उठाया गया है;

(ग) याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए और अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निर्धारित तरीके से सत्यापन किया जाए।

“6. राहत जिसका याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया जा सकता है।- एक याचिकाकर्ता हो सकता है

दावा -

(क) एक घोषणा कि सभी या किसी भी लौटे उम्मीदवार का चुनाव अमान्य है; और

(ख) इसके अलावा, एक और घोषणा कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार विधिवत निर्वाचित हुआ है।”

7. जैसा कि ऊपर बताया गया है, ग्राम पंचायत सेमारकोना, जिला मुंगेली का चुनाव 28.01.2020 पर हुआ था, जिसके तहत प्रत्यर्थी नं। 1 को सरपंच के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया। याचिकाकर्ता ने 1993 के उक्त अधिनियम की धारा 122 के तहत उप-मंडल कार्यालय (आर) पर एक चुनाव याचिका प्रस्तुत करके उक्त चुनाव पर सवाल उठाया था, मुख्य रूप से इस आधार पर कि मतों की गिनती देर शाम को जल्दबाजी में की गई थी, बिना तीन बूथों पर प्रकाश की उचित सुविधा के। उसमें दावा की गई सटीक राहत इस प्रकार थी:-

“...यह प्रार्थना की जाती है कि चुनाव क्षेत्र ग्राम पंचायत सेमारकोना, तहसील और जिला मुंगेली के बूथ संख्या 3,4 और 5 के वोटों की फिर से गिनती की जाए।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह पुरजोर आग्रह किया कि उप-मंडल अधिकारी (आर) ने गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने और यह संतुष्ट करने के बाद कि तीन बूथों पर मतों की गिनती करते समय प्रकाश की उचित सुविधा नहीं थी, मतों की फिर से गिनती करने का आदेश दिया था। एस. डी. ओ. के उक्त आदेश को उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा भी स्वीकार किया गया था, हालांकि इसे 1995 के उक्त नियमों के नियम 6 का पालन न करने के आधार पर खंड पीठ द्वारा विवादित आदेश के माध्यम से गलत तरीके से दरकिनार कर दिया गया था। तीन न्यायाधीशों की पीठ पर भारी निर्भरता

सोहन लाल बनाम बाबू गांधी और अन्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार परिणाम घोषित होने के बाद, एक पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय धारा 122 के तहत एक चुनाव याचिका की भाषा है, और

1 (2003) 1 एससीसी 108

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

न्यायाधिकरण अर्थात्, इस मामले में एसडीओ, मतों की फिर से गिनती की याचिका पर विचार करने और तदनुसार परिणाम घोषित करने के लिए बाध्य है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत

किया कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि ने मौखिक रूप से निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 80 के तहत आवश्यक प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा डाले गए मतों की कुल संख्या की घोषणा के तुरंत बाद निर्वाचन कार्यालय से मतों की फिर से गिनती करने का अनुरोध किया था, हालांकि निर्वाचन कार्यालय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

9. उक्त प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता नं। 1 ने प्रस्तुत किया कि गिनती के दौरान या वोटों की गिनती पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता या उसके एजेंट द्वारा वोटों की फिर से गिनती के लिए मौखिक रूप से या लिखित आवेदन द्वारा ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया एकमात्र अनुरोध तीन चुनिंदा बूथों पर वोटों की फिर से गिनती के लिए था, और ऐसी प्रार्थना 1995 के उक्त नियमों के नियम 6 के अनुरूप नहीं थी। 10. प्रारम्भ में यह ध्यान दिया जा सकता है कि तीन न्यायाधीशों की इस पीठ ने

सोहन लाल बनाम बाबू गांधी और अन्य (ऊपर) मामले में न्यायालय

एम. पी. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज प्रशासन, 1993 में निहित प्रावधान, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 1993 में निहित प्रावधानों के समान, राम रति बनाम में पहले के निर्णय से सहमत नहीं थे। सरोज देवी और अन्य 2 ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम में या न्यायालय या न्यायाधिकरण को मतों की पुनः गिनती का निर्देश देने से रोकने वाले नियमों के तहत कोई निषेध नहीं है। पैरा 14 में की गई सटीक टिप्पणियों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:- “14. धारा 122 और नियमों को देखते हुए, हम राम रति मामले [(1997) 6 एस. सी. सी. 66 में निर्धारित अनुपात से सहमत होने में असमर्थ हैं: ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 3072] यह कहना सही नहीं है कि चुनाव याचिका में, परिणाम की घोषणा के बाद, अदालत या न्यायाधिकरण मतों की फिर से गिनती का निर्देश नहीं दे सकता है जब तक कि पार्टी ने मतों की फिर से गिनती के लिए लिखित रूप में आवेदन नहीं किया हो। अधिनियम में या नियमों के तहत कोई निषेध नहीं है जो अदालत या न्यायाधिकरण को वोटों की फिर से गिनती का निर्देश देने से रोकता है। अन्यथा, हो सकता है कि किसी पक्ष को पता न हो कि परिणाम घोषित होने तक फिर से गिनती आवश्यक है। इस स्तर पर, उनके लिए रिटर्निंग ऑफिस में फिर से गिनती के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा। उनका एकमात्र उपाय धारा 122 के तहत एक चुनाव याचिका दायर करना होगा। ऐसे मामले में, अदालत या न्यायाधिकरण याचिका पर विचार करने के लिए बाध्य है और जहां कोई मामला बनता है, वह पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर फिर से गिनती का निर्देश दे सकता है।”

2 (1997) 6 एस. सी. सी. 66 157

धर्मिन बाई कश्यप बनाम बाबी साहू और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 158

वर्तमान मामले में, परिणाम घोषित करने में स्पष्ट त्रुटि थी। इसलिए हम मानते हैं कि राम रति मामले [(1997) 6 एस. सी. सी. 66 में निर्धारित अनुपात:ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 3072] सही नहीं है।”

11. सोहन लाल के पूर्व-वर्णित मामले में निर्धारित अनुपात के साथ कोई असहमति नहीं हो सकती है, जिसमें कहा गया है कि जब तक परिणाम घोषित नहीं किया जाता है, तब तक पार्टी के लिए रिटर्निंग ऑफिस में वोटों की फिर से गिनती के लिए आवेदन करना संभव नहीं हो सकता है, और उनका एकमात्र उपाय चुनाव याचिका दायर करना होगा, और ऐसे मामले में, एक अदालत या न्यायाधिकरण याचिका पर विचार करने के लिए बाध्य है और जहां कोई मामला बनाया जाता है, वह पक्षों द्वारा निर्धारित साक्ष्य के आधार पर फिर से गिनती का निर्देश दे सकता है। हालाँकि, तत्काल मामले में सवाल यह है कि क्या 1995 के उक्त नियमों के नियम 6 में विचार किए बिना, केवल मतों की फिर से गिनती के लिए प्रार्थना करने के लिए चुनाव याचिका दायर की जा सकती है।

12. यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जहां एक मूर्ति द्वारा एक अधिकार या दायित्व बनाया जाता है, जो इसे लागू करने के लिए एक विशेष उपाय देता है, तो मूर्ति द्वारा प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठाया जाना चाहिए। यह भी अच्छी तरह से स्थापित हितकारी सिद्धांत है कि यदि कोई मूर्ति किसी विशेष तरीके से किए जाने वाले काम को करने का प्रावधान करती है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं।

तरीके से। चेरुकुरी मणि बनाम नरेंद्र चौधरी बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य 3 में यह देखा गया है कि "जहां

कानून एक विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए एक विशेष तरीके से किया जाने वाला काम निर्धारित करता है, यह निर्धारित प्रक्रिया से विचलित हुए बिना कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए उसी तरीके से किया जाएगा।”

13. जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, उक्त अधिनियम की धारा 122 में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के तहत चुनाव पर केवल निर्धारित तरीके से प्रस्तुत याचिका द्वारा ही सवाल उठाया जा सकता है। निर्धारित तरीका 1995 के नियमों में है। नियम 5 "चुनाव याचिका की सामग्री" से संबंधित है और इसका नियम 6 "याचिकाकर्ता द्वारा दावा की जाने वाली राहत" से संबंधित है। उक्त नियम 6 में, यह प्रावधान किया गया है कि याचिकाकर्ता एक घोषणा का दावा कर सकता है कि सभी या किसी भी लौटे उम्मीदवार का चुनाव अमान्य है; और इसके अलावा, एक और घोषणा कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार विधिवत निर्वाचित हुआ है। उक्त नियम 6 को ध्यान में रखते हुए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उक्त अधिनियम की धारा 122 के तहत चुनाव याचिका में दावा की गई राहत 1995 के नियमों के उक्त नियम 6 के अनुरूप होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

यह सच है कि जैसा कि सोहन लाल के मामले में निर्धारित किया गया है, अदालत या न्यायाधिकरण चुनाव याचिका में दलों द्वारा निर्धारित साक्ष्य के आधार पर चुनाव याचिका में वोटों की फिर से गिनती का निर्देश दे सकता है, फिर भी बिना किसी अन्य राहत की मांग किए, केवल वोटों की फिर से गिनती के लिए राहत की मांग करने वाली चुनाव याचिका, यानी नियम 6 में विचार की गई घोषणाएं, कानून की नजर में मान्य नहीं होंगी। चुनाव याचिका में जिन मुख्य राहतों का दावा किया जा सकता है, वे 1995 के उक्त नियमों के नियम 6 में परिकल्पित राहतें होनी चाहिए।

14. यद्यपि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देने का एक हल्का प्रयास किया गया था कि याचिकाकर्ता के एजेंट ने मौखिक रूप से रिटर्निंग ऑफिस से प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा डाले गए वोटों की कुल संख्या की घोषणा के तुरंत बाद वोटों की फिर से गिनती करने का अनुरोध किया था, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता या उनके एजेंट द्वारा निर्वाचन नियम 1995 के नियम 80 के तहत रिटर्निंग ऑफिस को लिखित रूप में ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था। अन्यथा भी याचिकाकर्ता को 1995 के नियमों के तहत निर्धारित तरीके से उक्त अधिनियम की धारा 122 के तहत एक चुनाव याचिका के माध्यम से चुनाव पर सवाल उठाने की आवश्यकता थी, जिसमें याचिकाकर्ता को नियम 6 में परिकल्पित घोषणाओं की मांग करने की आवश्यकता थी, और ऐसी याचिका में, वह वोटों की फिर से गिनती की राहत के लिए प्रार्थना कर सकती थी।

15. कानून की इस तुच्छ स्थिति को दोहराने की शायद ही कोई आवश्यकता है कि जब चुनाव कानून से संबंधित वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की बात आती है, तो इस विषय पर न्यायशास्त्र प्रावधानों के सख्त निर्माण को अनिवार्य करता है। चुनाव प्रतियोगिता कानून की कार्रवाई या बराबरी का मुकदमा नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से एक वैधानिक कार्यवाही है, जिसके लिए प्रावधान का सख्ती से अर्थ निकाला जाना चाहिए। याचिकाकर्ता निर्वाचन नियम, 1995 की धारा 80 के तहत आवश्यक मतों की फिर से गिनती के लिए लिखित में कोई आवेदन करने में विफल रहा और 1995 के नियमों के नियम 6 के तहत आवश्यक घोषणाओं से राहत पाने में विफल रहा, इसलिए याचिकाकर्ता के नेतृत्व में उप-मंडल कार्यालय (आर) के समक्ष अकेले मतों की फिर से गिनती से राहत की मांग करने वाली चुनाव याचिका विचारणीय नहीं थी।

16. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं रखते हैं।

17. याचिका खारिज की जाती है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन